

॥ ओ३म् ॥
दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय
आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.

Brief Report

Brief Report of Project / Field/ Internship Work (1.3.3)

Name of the Project Undertaken	"Stri Aarakshan Au Panchayt Raj ki report "	
Academic Session	2024-25	
Organizing Department/ Committee	Major political science(SEC I Year)	
Total Number of Students Participated in the Project	19	
Brief Report	The Project entitled - " Stri Aarakshan Au Panchayt Raj ki report" undertaken by the Department of political science during the session of 2024-25 under the guidance of Internal Quality Assurance Cell of the Institution. Total 10 students participated in the project activity and successfully completed the project. The completion certificate has been given to the students. All students found it very interesting to learn through the experiential learning. They enjoyed the project work.	
Criterion :1	Metric no-1.3.3	
Signature of Co-Ordinator	Signature & Stamp of IQAC Co-Ordinator	Signature of & Stamp of Principal

॥ ओ३म् ॥
दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय
आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.



Students Information

S.N.	Name of Student	Program	Class
01.	Mahak Meshram	B. A	I year
02.	Tanushri Jambulkar	B. A	I year
03.	Annu Bawane	B. A	I year
04.	Deveshwari Krupate	B. A	I year
05.	Deepa upadhyay	B. A	I year
06.	Muskan Temburne	B. A	I year
07.	Kudasiya Kausar Ansari	B. A	I year
08.	Ruchika Umathe	B. A	I year
09.	Anisha Mishram	B. A	I year
10.	Raman Vikey	B. A	I year
11.	Sanjana Ahirwar	B. A	I year
12.	Shenhal Kori	B. A	I year
13.	Sakshi Sahare	B. A	I year
14.	Mansvi Patil	B. A	I year
15.	Shilpa Patil	B. A	I year
16.	Taniya Shahu	B. A	I year
17.	Pratikish Dandale	B. A	I year
18.	Vanshika S Salame	B. A	I year
19.	Mahak Sumundre	B. A	I year

Front Page of Project





ARYA VIDYA SABHA'S
DAYANAND ARYA KANYA
MAHAVIDYALAYA
Jaripatka, Nagpur.

'Political Science project'

Organised By
Department of project
CERTIFICATE

This is to certify that project work in the subject **political science** :
Major SEC entitles **Pol. Sci. Stri Aarakshan Au Panchayt Raj ki report**
has been successfully completed by **ku. Mahak Meshram of B.A I**
Year during the Academic session **2024-25** Hence the certificate is
awarded to her.

Co-Ordinator
Dr. – Babita Thool
Dept. of Pol. Sci

Principal
Dr. Sujata Chakravorty
DAKM, Nagpur

Project Copy

TOPIC

Date: / /

Page No.:

DAYANAND ARYA
KANYA MAHAVIDYALAYA
JARI PATKA, NAGPUR
NAME \Rightarrow Mahak Meshram

Subject \Rightarrow political Science

Class \Rightarrow B.A I year Semester



Diamond



TOPIC

Date: / /

Page No.:

अनुक्रमणिका

अ.क्र	घटना के नाम	पृष्ठ क्र
1	प्रस्तावना	
2	उद्देश्य	
3	महत्व	
4	आवश्यकता	
5	निरीक्षण	
6	विश्लेषण	
7	निष्कर्ष	



Diamond

विश्वविभक्तकृत

क. ३४६

मार्ग ११००/२००१



मार्ग ११००/२००१

मार्ग ११००/२००१



TOPIC

Date: / /

Page No.:



स्त्री आरक्षण और पंचायत राज

1) प्रस्तावना :-

किसी भी देश के समाज का स्वरूप उस रहनेवाली स्त्रियों के पारिवारिक पर निर्भर होता है। ऐसे समाज में जियों की स्थिति सजबूत और सम्मानपूर्ण होने पर समाज भी सजबूत और अक्षय होता है। वर्तमान पारिवारिक में कोई भी देश यह निर्णयित रूप से नही बता सकता है, उनके देश में रहनेवाली स्त्रियों को कोई भी समस्या नही है। आज के समय में स्त्री यह तृतीय विश्व समाज है जहाँ उसके अधिकार सम्यक्त और कर्तव्य अन्यायित है। तथा स्त्रियों से अपेक्षा भी अधिक मात्रा में है।

जब किसी भी समाज के संस्कृति का विश्लेषण किया जाता है तो उस समाज में रहनेवाली स्त्रियों के अधिकार और भूमिका का विचार करना आवश्यक है। स्त्री को अपनी भूमिका का निर्वाह करते समय शास्त्र एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था द्वारा कौनसे अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हें कितना समय दिया जाता है यह जानना भी आवश्यक है।



Diamond



2) उद्देश्य :-

देश में नगर संस्थाओं जैसे नगर निगम पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता रहे।

2) नागरिकों के कार्यों में जन प्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान तथा बाजनातिक प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार रहे।

3) नियमित समय पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के आधीन चुनाव हो सके।

4) व्यमाज की दुर्बल एवं कमजोर जनता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तथा पिछड़े वर्गों को नगर प्रशासन में आरक्षण प्राप्त हो।

5) प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक राज्य (प्रादेशिक) वित्त आयोग का गठन हो जो राज्य सरकार व स्थानीय नगर निकायों के बीच वित्त हस्तांतरण के सिद्धांतों को परिभाषित करे जिससे कि स्थानीय निकायों का वित्तीय आधार मजबूत बने।

6) सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता रहे।



Diamond

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]



১। ১৯৩৫-৩৬ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ২। ১৯৩৬-৩৭ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ৩। ১৯৩৭-৩৮ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ৪। ১৯৩৮-৩৯ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ৫। ১৯৩৯-৪০ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ৬। ১৯৪০-৪১ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ৭। ১৯৪১-৪২ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ৮। ১৯৪২-৪৩ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ৯। ১৯৪৩-৪৪ সালে ১০০ টি মূল্যের
 ১০। ১৯৪৪-৪৫ সালে ১০০ টি মূল্যের

16. 11. 1914 - 12. 12. 1914

महत्व :-

संपूर्ण देश में पंचायत राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के द्वारा सेवाएं और ऊ वं संविधान अधिक महत्वपूर्ण है। ऊ वं संविधान संशोधन से पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ है। तथा ऊ में संशोधन कानून के तत्व राज्य सरकार पर बंधनकारक होने के कारण नगरपालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत जैसे नागरी स्थानीय संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के द्वारा से महत्वपूर्ण अभिविद्ध हुआ। ऊ वं संशोधन के अनुसार राज्य सरकार नागरी स्थानीय संस्था के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संशोधन के महत्वपूर्ण तात्वों का पालन करना राज्य सरकार पर बंधनकारक है। नागरी स्थानीय संस्था को गजबत स्वकप प्राप्त होने के कारण और वित्त आयोग की स्थापना के कारण यह संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वकप नगर विकास और नगर की आर्थिक स्थिति सुधारणा के दृष्टि से अवसर प्राप्त हुआ है।

4) ऊ वं संविधान संशोधन की आवश्यकता :-

पूर्व की नागरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं थी। सबसे पहला कमी इसमें यह थी कि इसका वित्तीय आधार कमजोर था। वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण नगर निकायों के कार्य संचालन पर



Diamond


राज्य सरकार का ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण था जिसके कारण धीरे-धीरे नगर निकायों के द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्य अथवा बड़े-बड़े गाँव कार्यों में कमी होना लगी। नगर निकायों के प्रतिनिधियों की बरखाबती या नगर निकायों कार्यकाल समाप्त होने पर भी समय पर चुनाव नहीं हो रहे थे। इन निकायों में कमजोर और अपेक्षित वर्ग (महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। अतः इन कमियों को देखते हुए 68 वें संशोधन अधिनियम में स्थानीय नगर निकायों को संरचना, गठन, शक्तियों और कार्यों में अनेक परिवर्तन का प्रावधान किया गया।

5. निरीक्षण :-

73 वाँ और 74 वाँ संशोधन, जिसने पहली बार महिलाओं के लिए असली स्थिति की शुरुआत की। संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन अधिनियम में विशेष रूप से औपनिवेशिक राज सरकारों और बाहरी-राष्ट्रीय कलाकारों के सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए डेमोक्रेसी में महिलाओं के लिए एक एकल दृष्टिकोण वाले अर्केस्ट्रा करने का आदेश दिया गया था।



Diamond



४) विश्लेषण :-

भारत : पंचायती में महिलाओं को 30 साल से मिल रही आरक्षण की व्यवस्था से मिले सफल !

महिलाओं की नुमाइंदगी ने स्थानीय प्राथमिकताओं को फिर से प्राथमिकता बनाने में अहम भूमिका अदा की है। लेकिन, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए अचित कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस साल संविधान में 73 वां और 74 वां संशोधन करने के तीस साल पूरे हो गए। इन्हें संशोधनों के जरिए स्थानीय प्रशासनिक निकायों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरंकाओं की गई थीं।

५) निष्कर्ष :-

प्रारम्भ में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण था। बाद में, इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु :- 1992 के 73 वें संशोधन अधिनियम में पूरे देश में आदिवासियों के राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया।

• 243D के अंतर्गत स्केटेरेस्ट के लिए रेस्ट किया जाता है और 113(33%) रेस्टरूम महिलाओं के लिए रेस्ट किया जाता है।

• बाद में, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए रेलवे क्वार्टरों पर 50% कर दिया गया।



Diamond